

मोहब्बत राम बनाम स्टेट  
प्रकरण संख्या 219/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
03.09. 2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। स्टेट जबाब प्राप्त हुआ। वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि वादी का सही नाम मोहब्बतराम चालिया पुत्र मल्लूराम चालिया है। अतः वाद वादी डिकी करते हुए चक 33 आरडब्ल्यूडी के खाता सं. 61/51 की 9.895 है. भूमि में से 1/4 हिस्सा में दर्ज वादी का नाम मोहबतराम पुत्र मल्लूराम के स्थान पर मोहब्बत राम चालिया पुत्र मल्लू राम चालिया दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश आज दिनांक 03.09.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">महायक कमिश्नर एवं सुपरगण्ड अधिकारी ययतसर</p>	

